छत्तीसगढ़ नगरपालिका (मेयर-इन-काउंसिल/ प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य) नियम, 1998

(धारा 70 तथा 110 के अन्तर्गत)

[अधिसूचना क्र. 59-अठारह-3-98 दिनांक 22 सितम्बर, 1998, म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दि. 22-9-98 पृष्ठ 1075-1076 (6) पर प्रकाशित]

अधिसूचना क्र. 59-अठारह-3-98 दिनांक 22 सितम्बर, 1998 -- मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 70 तथा 110 के साथ पठित धारा 355 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

विधियों का अनुकूलन आदेश, 2001

अधिसूचना क्र. 4128/2458/न.प./2001 दिनांक 4 दिसंबर, 2001 -- मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :-

आदेश

1. (एक) इस आदेश का संक्षिप्त नाम **विधियों का अनुकूलन आदेश, 2001** होगा।

(दो) यह 1 नवंबर, 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा।

2. समय-समय पर यथा संशोधित ऐसे विधियां जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थीं, एतद्द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगी जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाएं। उपांतरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कहीं भी वे आए हों के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" स्थापित किए जाएं।

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कोई कार्यवाही (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, प्ररूप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेगी।

अनुसूची

अनुक्रमांक	विधि का नाम
08.	मध्यप्रदेश प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य) नियम, 1998

[छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग 1 दिनांक 19-7-2002 पृष्ठ 866-868 पर प्रकाशित]

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ** -- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम **छत्तीसगढ़ नगरपालिका (मेयर-इन-काउंसिल/प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य) नियम, 1998** है।

(2) ये नियम "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं** -- इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो--

(1) "**अधिनियम**" से अभिप्रेत है, यथास्थिति, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961;

(2) "**नगरपालिका**" से अभिप्रेत है, यथास्थिति, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 19 की धारा 7 के अधीन गठित कोई नगरपालिका निगम या छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 धारा 5 के अधीन गठित कोई नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत;

(3) "**मुख्य कार्यपालिक पदाधिकारी**" से अभिप्रेत है, नगरपालिक निगम की स्थिति में नगरपालि आयुक्त तथा नगरपालिका परिषद् व नगर पंचायत की स्थिति में नगरपालिका मुख्य अधिकारी;

(4) "**मेयर-इन-काउंसिल**" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 धारा 37 के अधीन गठित मेयर-इन-काउंसिल;

(5) "**प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल**" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 धारा 70 के अधीन गठित प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल;

(6) "**प्रभारी सदस्य**" से अभिप्रेत है, यथास्थिति मेयर-इन-काउंसिल या प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल ऐसा सदस्य जिसे यथास्थिति महापौर या अध्यक्ष द्वारा नगरपालिका के किसी विभाग या विभागों प्रभारी बनाया गया हो;

(7) "**विभाग**" से अभिप्रेत है --

(क) नगरपालिक निगम की स्थिति में --

(एक) आवास, पर्यावरण एवं लोक निर्माण विभाग,
(दो) जलकार्य विभाग,
(तीन) स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग,
(चार) बाजार विभाग,
(पांच) शिक्षा विभाग,
(छः) महिला तथा बाल कल्याण विभाग,
(सात) खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभाग,
(आठ) पुनर्वास तथा नियोजन विभाग,
(नौ) राजस्व विभाग,
(दस) विधि तथा सामान्य प्रशासन विभाग।

(ख) नगरपालिका परिषद् की स्थिति में --

(एक) आवास, पर्यावरण एवं लोक निर्माण विभाग,
(दो) जलकार्य विभाग,
(तीन) स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग,
(चार) राजस्व तथा बाजार विभाग,
(पांच) खाद्य, नागरिक आपूर्ति, पुनर्वास तथा नियोजन विभाग,
(छः) शिक्षा, महिला तथा बाल कल्याण विभाग,
(सात) विधि तथा सामान्य प्रशासन विभाग।

(ग) नगर पंचायत की स्थिति में --

(एक) आवास, पर्यावरण, लोक निर्माण एवं जलकार्य विभाग,
(दो) खाद्य, नागरिक आपूर्ति, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग,
(तीन) राजस्व तथा बाजार विभाग,
(चार) शिक्षा, महिला तथा बाल कल्याण विभाग,
(पांच) पुनर्वास, नियोजन, विधि तथा सामान्य प्रशासन विभाग।

स्पष्टीकरण -- इस खण्ड में वर्णित विभागों के अंतर्गत कौन-कौन से उपविभाग या शाखाएं रहेंगी और उनमें कौन-कौन से कार्य किए जावेंगे, इसका निर्धारण परिषद् द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदन से किया जाएगा।

(8) **''अध्यक्ष''** से अभिप्रेत है नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत का अध्यक्ष;

(9) **''प्राधिकारी''** से अभिप्रेत है, नियम 3 में वर्णित प्राधिकारी;

(10) **''परिषद्''** से अभिप्रेत है, नगरपालिक निगम की स्थिति में निगम तथा नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत की स्थिति में परिषद्;

(11) **''सचिव''** से अभिप्रेत है, मुख्य कार्यपालिक पदाधिकारी द्वारा सचिव के रूप में पदस्थ किया गया अधिकारी;

(12) इन नियमों में प्रयुक्त परन्तु अपरिभाषित शब्दों का वही अर्थ होगा जो उनके लिए अधिनियम में दिया गया है।

3. **मेयर-इन-काउंसिल का गठन** -- (1) प्रत्येक नगरपालिक निगम में मेयर-इन-काउंसिल महापौर और दस सदस्यों से मिलकर बनेगी।

(2) उपनियम (1) में वर्णित सभी दस सदस्य महापौर द्वारा निगम के निर्वाचित पार्षदों में से लिए जावेंगे जिनमें कम से कम दो सदस्य महिला वर्ग से, कम से कम दो सदस्य अन्य पिछड़ा वर्ग से तथा कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से शामिल करना आवश्यक होगा, साथ ही अध्यक्ष (स्पीकर) को भी एक सदस्य के रूप में शामिल किया जावेगा, ये सभी सदस्य महापौर के प्रसादपर्यंत ही मेयर-इन-काउंसिल के सदस्य रह सकेंगे।

4. **प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल का गठन** -- (1) प्रत्येक नगरपालिका परिषद् एवं प्रत्येक नगर पंचायत में प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल नगरपालिका परिषद् की स्थिति में अध्यक्ष और सात सदस्यों तथा नगर पंचायत की स्थिति में अध्यक्ष और पाँच सदस्यों से मिलकर बनेगी।

(2) उपनियम (1) में वर्णित नगरपालिका परिषद् में सभी सात सदस्य तथा नगर पंचायत में सभी पांच सदस्य अध्यक्ष द्वारा परिषद् के निर्वाचित पार्षदों में से लिए जावेंगे जिनमें, नगरपालिका परिषद् तथा नगर पंचायत प्रत्येक की स्थिति में कम से कम एक सदस्य महिला वर्ग से, कम से कम एक सदस्य पिछड़ा वर्ग से तथा कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से शामिल करना आवश्यक होगा, साथ ही उपाध्यक्ष को भी एक सदस्य के रूप में शामिल किया जावेगा, ये सभी सदस्य अध्यक्ष के प्रसादपर्यंत ही प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल के सदस्य रह सकेंगे।

5. **वित्तीय अधिकार** -- (1) विभिन्न प्राधिकारियों में निम्नानुसार वित्तीय अधिकार वेष्ठित होंगे :-

[1][(एक) नगर पालिक निगम की स्थिति में :-

तालिका

क्र.	प्राधिकारी	जनसंख्या	
		तीन लाख से अधिक	तीन लाख से कम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आयुक्त, नगर पालिक निगम	50 लाख रु. तक.	25 लाख रु. तक.
2.	मेयर-इन-काउंसिल	50 लाख रु. से अधिक किन्तु 1.50 करोड़ रु. से अनधिक.	25 लाख रु. से अधिक किन्तु 1 करोड़ से अनधिक.
3.	निगम	1.50 करोड़ रु. से अधिक किन्तु 5 करोड़ रु. से अनधिक.	1 करोड़ रु. से अधिक किन्तु 3 करोड़ रुपये से अनधिक.

1. अधिसूचना क्रमांक 4175/5170/18/2010 दिनांक 16 जून, 2011 द्वारा खण्ड (एक) एवं (दो) के स्थान पर प्रतिस्थापित। छ.ग. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 16 जून, 2011 पृष्ठ 397-398(3) पर प्रकाशित।

(दो) नगर पालिका परिषद् व नगर पंचायत की स्थिति में--.

तालिका

क्र.	प्राधिकारी	नगर पालिका परिषद्		नगर पंचायत
		जनसंख्या पचास हजार या उससे अधिक	जनसंख्या पचास हजार से कम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी	1 लाख रु. तक.	50,000/- रु. तक.	25,000/- रु. तक.
2.	प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल	1 लाख रु. से अधिक किन्तु 30 लाख रु. से अनधिक.	50,000/- रु. से अधिक किन्तु 15 लाख रु. से अनधिक.	25,000/- रु. से अधिक किन्तु 10 लाख रु. से अनधिक.
3.	परिषद्	30 लाख रुपये से अधिक किन्तु दो करोड़ रुपये से अनधिक.	15 लाख रु. से अधिक किन्तु 1.25 करोड़ रु. से अनधिक.	10 लाख रु. से अधिक किन्तु 75 लाख रु. से अनधिक.]

[1][(2) 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर पालिक निगम की स्थिति में 5 करोड़ रु. से अधिक के व्यय तथा 3 लाख रु. से कम जनसंख्या वाले नगर पालिक निगम की स्थिति में 3 करोड़ रु. से अधिक के व्यय के लिए राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा :

परन्तु, तथापि, आयुक्त, नगर पालिक निगम बिलासपुर की वित्तीय शक्तियाँ 50 लाख रु. तक होगी।

(3) 50,000 या उससे अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका की स्थिति में 2 करोड़ रु. से अधिक के व्यय तथा 50,000 से कम जनसंख्या वाली नगर पालिका की स्थिति में रु. 1.25 करोड़ से अधिक के व्यय तथा नगर पंचायत की स्थिति में रुपये 75 लाख से अधिक के व्यय के लिए राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा।]

[2][***]

[3][(5-क) केन्द्र प्रायोजित एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं के मामले में राज्य शासन समय-समय पर कोई या वे समस्त वित्तीय अधिकार जो कि अन्यथा शासन या नगरपालिक निगम या नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत में निहित हैं, को जिला विकास अभिकरण के अध्यक्ष होने के नाते जिला कलेक्टर में प्रत्यायोजित कर सकेगा।

[4][(5-ख) लोक कार्य के लिए भवन सामग्री क्रय करने के लिये विहित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा :-

(क) विशिष्ट निर्माण तथा अन्य भवन कार्यों एवं भवन और अन्य सामग्रियों के क्रय के लिये पूर्वोत्तर कार्य/क्रय के अंतर्गत अनुमोदित दर नहीं अपनाई जावेगी तथा ऐसे कार्य/क्रय को नवीन प्रकरण मानकर विहित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

1. अधिसूचना क्रमांक 4175/5170/18/2010 दिनांक 16 जून, 2011 द्वारा उपनियम (2) एवं (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित। छ.ग. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 16 जून, 2011 पृष्ठ 397-398(3) पर प्रकाशित।
2. अधिसूचना क्रमांक 4175/5170/18/2010 दिनांक 16 जून, 2011 द्वारा उपनियम (4) एवं (5) का लोप किया जाए। छ.ग. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 16 जून, 2011 पृष्ठ 397-398(3) पर प्रकाशित।
3. अधिसूचना क्रमांक 4333/18/2003, दिनांक 1-4-2003 द्वारा अन्तःस्थापित। छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 4-4-2003, पृष्ठ 179-180(1) पर प्रकाशित।
4. अधिसूचना क्रमांक 4175/5170/18/2010 दिनांक 16 जून, 2011 द्वारा उपनियम (5-ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित। छ.ग. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 16 जून, 2011 पृष्ठ 397-398(3) पर प्रकाशित।

(ख) निविदा सूचना तथा निबंधन एवं शर्तों का अनुमोदन, निविदा के मूल्य के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अभियंताओं द्वारा किया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा निविदा सूचना तथा निबंधन एवं शर्तों के लिए यथा अनुमोदित प्रोफार्मा पर ही निविदा आमंत्रित की जाएगी।

(ग) प्राक्कलन का विभाजन अनुज्ञात नहीं किया आएगा किन्तु यदि प्राक्कलन का विभाजन आवश्यक हो तो ऐसे अधिकारी जो प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए सक्षम अधिकारी हैं, वे ही स्वीकृति (अनुमोदन) प्रदान करने के लिए सक्षम होंगे।

(घ) राज्य सरकार के क्रय नियमों के अनुसार क्रय किया जाएगा।

(ङ) कोल-तार (डामर) का क्रय भंडार क्रय के नियमों का अनुपालन करते हुए भारत सरकार के उपक्रमों से किया जाएगा।

(च) मेयर-इन-काउंसिल/प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल की वित्तीय शक्तियों तथा स्वीकृति से संबंधित समस्त विषय, निगम/परिषद् की आगामी बैठक में सूचना हेतु रखे जाएंगे। ऐसा करने में असफल होने पर उक्त व्यय अवैध माना जावेगा।

(छ) यदि कोई अधिकारी उसमें निहित वित्तीय शक्तियों के पचास प्रतिशत या उससे अधिक तत्स्थानी राशि व्यय करता है तो उसकी रिपोर्ट उसके उच्चतर प्राधिकारी को ऐसे व्यय किये जाने के पन्द्रह दिन के भीतर देगा।]

[1][(छह) से (नौ) लुप्त।]

6. **निविदा समिति** -- [2][(1) निविदा समिति निम्नानुसार होगी--

(1) स्थानीय निकाय स्तर पर कार्यों/क्रय सामग्री के मूल्य (बजट) के अनुसार, निम्नानुसार निविदा/क्रय समिति गठित की जाएगी।

(क) नगर पालिक निगम

तालिका

लागत राशि 150.00 लाख रु. तक			लागत राशि 150.00 लाख रु. से अधिक		
1.	आयुक्त	अध्यक्ष	1.	आयुक्त	अध्यक्ष
2.	वरिष्ठ कार्यपालन अभियंता	सदस्य	2.	अधीक्षण अभियंता	सदस्य
3.	संबंधित शाखा प्रमुख	सचिव	3.	संबंधित शाखा प्रमुख	सचिव
4.	वरिष्ठ लेखा अधिकारी/लेखा अधिकारी (स्थानीय निकाय में पदस्थ अनुसार)	सदस्य	4.	उपायुक्त (वित्त/लेखा)/ लेखा शाखा प्रमुख	सदस्य.

(ख) नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत

तालिका

लागत राशि 20.00 लाख रु. तक			लागत राशि 20.00 लाख रु. से अधिक किन्तु 150.00 लाख रु. से अनधिक		
1.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी	अध्यक्ष	1.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी	अध्यक्ष
2.	स्थानीय निकाय का वरिष्ठ अभियंता	सदस्य	2.	कार्यपालन अभियंता	सदस्य
3.	संबंधित विभाग प्रमुख	सचिव	3.	निकाय के वरिष्ठ सहा. अभि./उप अभि.	सचिव
4.	लेखा शाखा प्रमुख	सदस्य	4.	लेखा शाखा प्रमुख	सदस्य

1. अधिसूचना क्रमांक 4333/18/2003, दिनांक 1-4-2003 द्वारा लुप्त। छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 4-4-2003, पृष्ठ 179-180(1) पर प्रकाशित।
2. अधिसूचना क्रमांक 4175/5170/18/2010 दिनांक 16 जून, 2011 द्वारा उपनियम (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित। छ.ग. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 16 जून, 2011 पृष्ठ 397-398(3) पर प्रकाशित।

(ग) लागत राशि 150 लाख रुपये से अधिक

तालिका

1.	संयुक्त संचालक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय	अध्यक्ष
2.	अधीक्षण अभियंता	सदस्य
3.	कार्यपालन अभियंता	सदस्य
4.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी	सचिव.

(घ) यदि स्थानीय निकाय में कार्यपालन अभियंता/अधीक्षण अभियंता पदस्थ नहीं किया गया है, तो के नगर पालिक निगम में पदस्थ कार्यपालन/अधीक्षण अभियंता या क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थ जि प्रभारी कार्यपालन/अधीक्षण अभियंता, निविदा समिति के सदस्य होंगे।

उपरोक्त समिति की अनुशंसा अभिप्राप्त करने के पश्चात् स्थानीय निकाय इनके वित्तीय अधिकारों के अ वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।]

(2) यदि स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी निविदा समिति की अनुशंसा से सहमत नहीं है तो वह उन कारणों को वि रूप में लिखित में अभिलिखित करते हुए अपने से वरिष्ठ प्राधिकारी से आदेश प्राप्त करेगा। परिषद् के मामले में आदेश राज्य सरकार से प्राप्त किए जावेंगे।

[1][(3) आपात स्थिति, जैसे प्राकृतिक संकट के दौरान जल प्रदाय तथा आवश्यक सेवाओं को चालू रख लिए नगरपालिक निगम के मामले में [2][1लाख रु.], नगरपालिका परिषद् के मामले में [2][50,000 रु.] तथा पंचायत के मामले में [2][30,000 रु.] तक की राशि मेयर-इन-काउंसिल/प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल से पूर्व मंजूरी अभि करके टेंडर मंगाए बिना पूर्व में मंजूर की गई दरों पर कार्य चालू रखने के लिए अनुज्ञात किए जा सकेंगे।]

7. **अनुबंध निष्पादित किए जाने की रीति** -- (1) नगरपालिक निगम की स्थिति में आयुक्त नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत की स्थिति में मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा यथास्थिति निगम या परिष ओर से किया गया प्रत्येक अनुबंध इस रूप में किया जाएगा जो यथास्थिति आयुक्त या मुख्य नगरपालिका अधिका इस प्रकार आबद्ध करे मानो उक्त अनुबंध उनकी ओर से ही किया गया था।

(2) किसी कार्य के निष्पादन या किसी सामग्री या माल का प्रदाय के लिए किया गया प्रत्येक ऐसा अ जिसमें दस हजार रुपये से अधिक का व्यय सन्निहित हो, लिखित में होगा और यथास्थिति निगम या परिषद् की सा मुद्रा से मुद्रांकित किया जाएगा :

परन्तु प्रतिबंध यह है कि यदि अनुबंध ऐसे कार्य से संबंधित हो जो यथास्थिति आयुक्त या मुख्य नगरपा अधिकारी की तुष्टि योग्य पूर्व में ही संपादित किया जा चुका हो या ऐसी सामग्री या माल के प्रदाय से संबंधित हो, जि प्रदाय यथास्थिति आयुक्त या मुख्य नगरपालिका अधिकारी की तुष्टि योग्य पूर्व में ही किया जा चुका हो अथवा वि

1. अधिसूचना क्रमांक 4333/18/2003, दिनांक 1-4-2003 द्वारा स्थापित। छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 4-4-2 पृष्ठ 179-180(1) पर प्रकाशित।
2. अधिसूचना क्रमांक 4175/5170/18/2010 दिनांक 16 जून, 2011 द्वारा शब्द एवं अंक '50,000 रु.', '25,000 रु. '15,000 रु.' के स्थान पर क्रमशः प्रतिस्थापित। छ.ग. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 16 जून, 2011 पृष्ठ 397-398(प्रकाशित।

लिखित निष्पादन की या तो व्यापकतः या विशेष श्रेणी के प्रकरणों में यथास्थिति निगम या परिषद् द्वारा छूट दे दी गई हो, तो यथास्थिति आयुक्त या मुख्य नगरपालिका अधिकारी लिखतम के निष्पादन की छूट दे सकेगा।

(3) यथास्थिति आयुक्त या मुख्य नगरपालिका अधिकारी जैसी भी स्थिति हो किसी भी अनुबंध के विधिवत संपादन के लिए समुचित प्रतिभूति की अपेक्षा करेगा :

[1][परन्तु कार्य की निविदा शर्तों के अनुसार, प्रतिभूति की राशि होगी।]

[1][8. **तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति** -- नगर पालिक निगम के संबंध में वहां पदस्थ विभाग का वरिष्ठतम तकनीकी अधिकारी, प्रत्येक निर्माण कार्य या मरम्मत के कार्य के प्राक्कलन का अनुमोदन करेगा तथा प्रशासनिक स्वीकृति, उसमें निहित वित्तीय शक्तियों की सीमाओं के अनुसार प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी। तकनीकी स्वीकृति, छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग दो में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के अनुसरण में, प्राक्कलन के मूल्य के अनुसार नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में पदस्थ अभियंताओं द्वारा प्रदान की जाएगी, जो शासकीय कार्य विभाग (लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग एवं लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग) में प्राधिकृत अनुसार, तकनीकी स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु सक्षम होंगे तथा जिन्हें राज्य शासन द्वारा समय-समय पर नामांकित किया जाएगा।]

[2][8-क. केन्द्र प्रायोजित एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं के लिए राज्य शासन समय-समय पर प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने की शक्ति, जो कि अन्यथा शासन या निगम या परिषद् या नगर पंचायत में निहित है, को जिला विकास अभिकरण के अध्यक्ष होने के नाते जिला कलेक्टर में वेष्ठित कर सकेगा :

[1][परन्तु मेयर-इन-कौंसिल या प्रेसीडेंट-इन-कौंसिल, यथास्थिति, प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पूर्व, नियम 8 के अन्तर्गत सक्षम पद धारण करने वाले नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के नामांकित अभियंता से तकनीकी स्वीकृति अभिप्राप्त करना अनिवार्य होगा।]]

9. **मेयर-इन-काउंसिल के अन्य अधिकार एवं कर्तव्य** -- मेयर-इन-काउंसिल द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 या उसके अधीन बनाए गए नियम या उपविधियां द्वारा उसमें वेष्ठित शक्तियों के साथ ही उक्त अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में निगम में वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग भी किया जावेगा --

धारा 57(1), 61, 62, 71(1), 137(1), 138, 142(1), 176 तथा 189-ए।

10. **प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल के अन्य अधिकार एवं कर्तव्य** -- प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 या उसके अधीन बनाए गए नियम या उपविधियां द्वारा उसमें वेष्ठित शक्तियों के साथ ही उक्त अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में परिषद् में वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग भी किया जावेगा --

धारा 93(1), 94(1), (2), 121(1), 126, 160, 168(7), 228, 235, 237, 238, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 253(1), (3), 255(1), 261, 262(1), (3), 263, 265, 267, 272, 273, 274, 281।

[3][10-क. **नियम 3 अथवा नियम 4 के निर्देशों का पालन न करने पर वैकल्पिक व्यवस्था** -- इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि यथास्थिति मेयर-इन-काउंसिल का गठन इन नियमों के यथास्थिति नियम 3 या नियम 4 के प्रावधान अनुसार नहीं किया जाता है तब ऐसी स्थिति में इन नियमों और अधिनियम में जो भी शक्तियां एवं कर्तव्य यथास्थिति मेयर-इन-काउंसिल या प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल में वेष्ठित हैं, उनसे संबंधित सभी प्रकरणों पर मेयर-इन-काउंसिल के स्थान पर "निगम" तथा प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल के स्थान पर "परिषद्" द्वारा निर्णय लिए जावेंगे।]

1. अधिसूचना क्रमांक 4175/5170/18/2010 दिनांक 16 जून, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित। छ.ग. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 16 जून, 2011 पृष्ठ 397-398(3) पर प्रकाशित।
2. अधिसूचना क्रमांक .333/18/2003, दिनांक 1-4-2003 द्वारा प्रतिस्थापित। छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 4-4-2003, पृष्ठ 179-180(1) पर प्रकाशित।
3. मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 29-4-2000 द्वारा अन्तःस्थापित।

11. **कामकाज का संचालन** -- (1) ~~प्रत्येक~~ ऐसा प्रकरण जो मुख्य कार्यपालिक पदाधिकारी क्षेत्राधिकार से ऊपर का है, संबंधित विभाग के प्रभारी सदस्य को प्रस्तुत होगा। यदि प्रकरण प्रभारी सदस्य क्षेत्राधिकार में आता है, तब उस पर प्रभारी सदस्य द्वारा निर्णय लिया जाएगा अन्यथा उसे अपनी टिप्पणी, यदि हो, सहित यथास्थिति महापौर या अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जावेगा।

[1][(1-क) उप-नियम (1) के अंतर्गत या नियम 13 में उप-नियम (1-क) के अंतर्गत मुख्य कार्यपा अधिकारी द्वारा प्रभारी सदस्य को या मेयर/अध्यक्ष को किसी प्रकरण के प्रस्तुत करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होग

(क) मुख्य कार्यपालिक अधिकारी द्वारा प्रकरण को इस प्रयोजन हेतु संधारित आंतरिक डाक पुस्तिक सम्यक् रूप से दर्ज कराकर तथा प्रकरण की पावती प्राप्त कर सचिव को दिया जावेगा।

(ख) सचिव द्वारा प्रकरण यथा स्थिति मेयर/अध्यक्ष या प्रभारी सदस्य को यदि वह कार्यालय में उप हो और प्रकरण स्वीकार करता हो : प्रस्तुत किया जायेगा।

(ग) दिन के कार्यालयीन घंटे पूर्ण होने से पूर्व सचिव द्वारा अपने हस्ताक्षर से निगम के सूचना पटल पर कार्यपालिक अधिकारी से, यथास्थिति, मेयर या अध्यक्ष तथा/या प्रभारी सदस्य को प्रस्तु प्राप्त प्रकरणों की सूची चस्पा की जावेगी जो निम्नलिखित प्रारूप में होगी :-

(नगरपालिका का नाम)

प्रभारी सदस्य/मेयर/अध्यक्ष के लिए मुख्य कार्यपालिक अधिकारी से प्रा प्रकरणों की दैनिक सूची

छत्तीसगढ़ नगर पालिका (मेयर-इन-काउंसिल/प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल के कामकाज का संच तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्त्तव्य) नियम, 1998 (यथा संशोधित) के नियम उपनियम (1-क) खण्ड (ग) के अनुसार

क्रमांक : दिनांक :

स.क्र.	मुख्य कार्यपालिक अधिकारी के डाक बुक का संदर्भ क्रमांक	संबंधित प्रभारी सदस्य/मेयर/अध्यक्ष	प्रकरण विष
(1)	(2)	(3)	(4

टीप :- छत्तीसगढ़ नगर पालिका (मेयर-इन-काउंसिल/प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल के कामक संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्त्तव्य) नियम, 1998 (यथा संश के नियम 11 के उपनियम (1-क) के खण्ड (ङ) के अनुसार दस दिनों के बाद " प्राधिकारी द्वारा प्रकरण अस्वीकार" टीप के साथ प्रकरण मुख्य कार्यपालिक अधि लौटा दिया जाएगा।

1. **अधिसूचना क्रमांक एफ 5-34/18/2012, दिनांक 2 फरवरी, 2013 द्वारा अंतःस्थापित। छ.ग. (असाधारण) दिनांक 2 फरवरी, 2013 पृष्ठ 67-68(1) पर प्रकाशित।**

(घ) सूचना पटल पर खण्ड (ग) के अंतर्गत सूची के चस्पा किये जाने पर, यह माना जायेगा कि समस्त प्रकरण संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दिये गये हैं, तथा नियम 13 के अंतर्गत प्रकरणों के निराकरण हेतु समय-सीमा की गणना खण्ड (ग) के अनुसार सूची के निगम के सूचना पटल पर चस्पा किये जाने की तारीख के अगले दिन से प्रारंभ होगी।

(ङ) नियम 13 के अनुसार समय-सीमा की समाप्ति पर, सचिव द्वारा उसके पास यदि कोई प्रकरण हो, जो खण्ड (ग) के अनुसार सूचना के सूचना पटल पर चस्पा करने के बावजूद संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्राप्त नहीं किया गया हो, तो उसे वह मुख्य कार्यपालिक अधिकारी को अपनी टीप के साथ लौटा देगा।]

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रकरण प्राप्त होने पर यथास्थिति महापौर या अध्यक्ष यदि प्रकरण उसके क्षेत्राधिकार में आता है, तब उस पर निर्णय लेगा अन्यथा उसे अपनी टिप्पणी यदि कोई हो, सहित यथास्थिति मेयर-इन-काउंसिल या प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा और यदि प्रकरण ऐसा है जो यथास्थिति मेयर-इन-काउंसिल या प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल के क्षेत्राधिकार से भी ऊपर का है तब उसे यथास्थिति निगम या परिषद् की बैठक में यथास्थिति मेयर-इन-काउंसिल या प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल के मत सहित प्रस्तुत किया जावेगा।

(3) इस नियम के अंतर्गत प्रत्येक प्रकरण संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित सुस्पष्ट संक्षेपिका सहित प्रस्तुत किया जावेगा।

12. संकल्प, आदेश का क्रियान्वयन -- (1) नगरपालिक निगम की स्थिति में अध्यक्ष (स्पीकर) तथा नगरपालिक परिषद् एवं नगर पंचायत की स्थिति में उसका अध्यक्ष परिषद् द्वारा कोई संकल्प पारित करने के तिथि से 7 दिन के भीतर ऐसे संकल्प की प्रति यथास्थिति नगरपालिक आयुक्त या मुख्य नगरपालिका अधिकारी को प्रेषित करना आवश्यक होगा।

(2) मुख्य कार्यपालिक पदाधिकारी में किसी भी संकल्प या आदेश के क्रियान्वयन संबंधी शक्ति निहित होगी।

(3) मुख्य कार्यपालिक पदाधिकारी के मत में यदि कोई संकल्प या आदेश विधि के विरुद्ध है या जनहित के विरुद्ध है या नगरपालिका के हितों के विरुद्ध है तब वह दर्शाते हुए कि ऐसा संकल्प या आदेश किन कारणों से विधि के विरुद्ध है या जनहित के विरुद्ध है या नगरपालिका के हितों के विरुद्ध है उसे पुनर्विचार हेतु संबंधित प्राधिकारी को भेजा जाएगा।

(4) उपनियम (2) के अधीन प्राप्त प्रकरण पर पुनर्विचार के पश्चात् भी संबंधित प्राधिकारी यदि अपने पूर्व के संकल्प या आदेश को यथावत रखता है तब ऐसे प्रकरण को मुख्य कार्यपालिक पदाधिकारी द्वारा परिषद् में प्रस्तुत किया जावेगा।

(5) उपनियम (4) के अधीन प्रकरण पर यदि परिषद् संकल्प या आदेश को यथावत रखने का निर्णय लेती है, तब ऐसा प्रकरण मुख्य कार्यपालिक पदाधिकारी द्वारा नगरपालिक निगम की स्थिति में राज्य सरकार को तथा नगरपालिका परिषद् एवं नगर पंचायत की स्थिति में संचालक नगर प्रशासन एवं विकास को भेजा जावेगा, यथास्थिति राज्य सरकार या संचालक नगर प्रशासन एवं विकास का आदेश अंतिम होगा और तद्नुसार ही मुख्य कार्यपालिक पदाधिकारी द्वारा उस पर कार्यवाई की जाएगी।

[1][(6) मुख्य कार्यपालिक पदाधिकारी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह संकल्प प्राप्ति के सात दिन के भीतर उपनियम (3), (4) तथा (5) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार कार्यवाई करें।]

1. मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 26-5-2000 पृष्ठ 130 के अनुसार नियम 12 का उपनियम (6) अन्तःस्थापित।

13. प्रकरणों के निराकरण के लिए समय सीमा -- [1][(1) यथास्थिति मेयर-इन-काउंसिल या प्रेसीडेन्ट-इन-काउंसिल या महापौर या अध्यक्ष या प्रभारी सदस्य द्वारा प्रत्येक प्रकरण का निराकरण प्रकरण के प्राप्त होने की तारीख से दस दिन के भीतर किया जाएगा :

स्पष्टीकरण :- (1) 10 दिनों की समय-सीमा की गणना उस तारीख की आगामी तारीख से की जाए जिस तारीख को प्रकरण प्राप्त हुआ है।

स्पष्टीकरण :- (2) इस नियम के प्रयोजनार्थ, नियम 11 के उप-नियम (1-क) के खण्ड (ग) अन्तर्गत सूची का चस्पा किया जाना प्रकरण का प्रस्तुत किया जाना माना जाए

(1-क) यदि, यथास्थिति, मेयर-इन-काउंसिल या प्रेसीडेन्ट-इन-काउंसिल या मेयर या अध्यक्ष या प्रभ सदस्य द्वारा प्रकरण में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो समस्त प्रश्नों को बिन्दुवार लिखित में एक मुश्त उ नियम (1) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट समय सीमा में मांगा जाएगा।

(1-ख) उप-नियम (1-क) के अन्तर्गत प्राप्त प्रश्नों का मुख्य कार्यपालिक अधिकारी द्वारा बिन्दुवार जव दिया जायेगा तथा, उसके द्वारा प्रतिक्रियाओं सहित प्रकरण प्रस्तुत करने के पश्चात् यथा स्थिति मेयर-इन-काउंसि या प्रेसीडेन्ट-इन-काउंसिल या मेयर या अध्यक्ष या प्रभारी सदस्य द्वारा प्रकरण का निराकरण तत्पश्चात् दस दिनों समय-सीमा में किया जावेगा।

स्पष्टीकरण :- (1) 10 दिनों की समय-सीमा की गणना उस तारीख की आगामी तारीख से की जा जिस तारीख को प्रकरण प्राप्त हुआ है।

स्पष्टीकरण :- (2) इस नियम के प्रयोजनार्थ, नियम 11 के उप-नियम (1-क) के खण्ड (ग) अन्तर्गत सूची का चस्पा किया जाना प्रकरण का प्रस्तुत किया जाना माना जाए

(1-ग) यदि किसी प्रकरण का निराकरण यथा स्थिति मेयर-इन-काउंसिल या प्रेसीडेन्ट-इन-काउंसिल मेयर या अध्यक्ष या प्रभारी सदस्य द्वारा उप-नियम (1) या (1-ख) में यथा विनिर्दिष्ट समय-सीमा में नहीं कि जाता है तब उसके निम्नलिखित परिणाम होंगे :-

(क) यदि प्रकरण यथास्थिति मेयर-इन-काउंसिल या प्रेसीडेन्ट-इन-काउंसिल के क्षेत्राधिकार के संबंध तब मुख्य कार्यपालिक अधिकारी द्वारा ऐसे प्रकरण को, जिस रूप में यह यथास्थिति मेयर-

1. अधिसूचना क्रमांक एफ 5-34/18/2012, दिनांक 2 फरवरी, 2013 द्वारा उपनियम (1) के स्थान प्रतिस्थापित। छ.ग. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2 फरवरी, 2013 पृष्ठ 67-68(1) पर प्रकाशित। प्रतिस्थापन के पूर्व अधिसूचना क्रमांक 5816/4261/18/2010 दिनांक 26 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम निम्नानुसार था :-

"(1) यथास्थिति, मेयर-इन-कौंसिल या प्रेसीडेंट-इन-कौंसिल या महापौर या अध्यक्ष, प्रकरण की प्राप्ति की तारीख (दस) दिनों के भीतर प्रत्येक प्रकरण का निराकरण करेगा। ऐसी समय-सीमा के भीतर प्रकरण का निराकरण न किये ज दशा में, परिणाम निम्नलिखित होंगे :-

(क) यदि प्रकरण, मेयर-इन-कौंसिल या प्रेसीडेंट-इन-कौंसिल की अधिकारिता का हो तो मुख्य कार्यपालन अ द्वारा यह माना जाएगा कि प्रकरण जो कि मेयर-इन-कौंसिल या प्रेसीडेंट-इन-कौंसिल के समक्ष प्रस्तुत किय अनुमोदित हो गया है और वह तद्नुसार प्रकरण में आगे और कार्यवाई करेगा।

(ख) यदि प्रकरण, महापौर या अध्यक्ष या प्रभारी सदस्य की अधिकारिता का हो तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, को, यथावत्, वापस ले लेगा, और, यदि प्रकरण मेयर-इन-कौंसिल या प्रेसीडेंट-इन-कौंसिल की अधिकारि हो, तो वह, उसके प्रस्ताव के साथ, यथास्थिति, मेयर-इन-कौंसिल या प्रेसीडेंट-इन-कौंसिल के समक्ष सीधे करेगा, और यदि यह निगम या परिषद् की अधिकारिता का हो, तो वह, उसके प्रस्ताव के साथ, यथास्थिति या परिषद् की सभा में सीधे प्रस्तुत करेगा।"

काउंसिल या प्रेसीडेन्ट-इन-काउंसिल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, उसी रूप में मान लिया जाएगा कि यथास्थिति मेयर-इन-काउंसिल या प्रेसीडेन्ट-इन-काउंसिल द्वारा यह प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया है और तद्नुसार प्रकरण पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।

(ख) यदि प्रकरण यथास्थिति महापौर या अध्यक्ष या प्रभारी सदस्य के क्षेत्राधिकार का है तब मुख्य कार्यपालिक अधिकारी द्वारा यथास्थिति महापौर या अध्यक्ष या प्रभारी सदस्य से प्रकरण वापिस लेकर सीधे अपने प्रस्ताव के साथ तथा यदि प्रकरण यथास्थिति मेयर-इन-काउंसिल या प्रेसीडेन्ट-इन-काउंसिल के क्षेत्राधिकार में आता है तब यथास्थिति मेयर-इन-काउंसिल या प्रेसीडेन्ट-इन-काउंसिल को और यदि यथास्थिति निगम या परिषद् के क्षेत्राधिकार में आता है तब ऐसा प्रकरण अपने प्रस्ताव सहित यथास्थिति निगम या परिषद् की बैठक में प्रस्तुत करेगा :

परंतु यह कि यदि महापौर या अध्यक्ष या प्रभारी सदस्य, यथास्थिति, किसी भी कारण से उप-नियम (1) में निराकरण हेतु विनिर्दिष्ट समय-सीमा की समाप्ति के तीन दिनों के अन्दर तक प्रकरण मुख्य कार्यपालिक अधिकारी को नहीं सौंपते हैं तो मुख्य कार्यपालिक अधिकारी प्रकरण की सत्य प्रतिलिपि तैयार कर तथा अपने प्रस्ताव का उल्लेख करने के पश्चात् इस नियम के अनुसार प्रकरण को इस परंतुक के अंतर्गत विनिश्चय हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है, का लेख करते हुए कार्यवाही करेगा :

परंतु यह भी कि क्षेत्राधिकार के अनुसार प्रकरण को अगले स्तर के प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते समय मुख्य कार्यपालिक अधिकारी इसके साथ महापौर या अध्यक्ष तथा/या मेयर-इन-काउंसिल या प्रेसीडेन्ट-इन-काउंसिल द्वारा उठाये गये प्रश्नों और संबंधित विषय पर बिन्दुवार उसके द्वारा दिये गये प्रत्युत्तर की प्रति संलग्न करेगा।]

(2) उपनियम (1) के अंतर्गत यदि प्रकरण परिषद् के समक्ष तीस दिन से भी अधिक समय से लंबित है तथा मुख्य कार्यपालिक अधिकारी नगरपालिक निगम की स्थिति में अध्यक्ष (स्पीकर) तथा नगरपालिका एवं नगर पंचायत की स्थिति में उसके अध्यक्ष से परिषद् की विशेष बैठक आयोजित करने के लिए प्रस्ताव करेगा और यदि यथास्थिति उपरोक्त प्राधिकारी परिषद् की विशेष बैठक आमंत्रित करने की अनुमति नहीं देते हैं तब मुख्य कार्यपालिक अधिकारी को राज्य सरकार के प्रज्ञापना के अधीन परिषद् की बैठक आमंत्रित करने का अधिकार होगा जिसमें परिषद् द्वारा ऐसे लंबित प्रकरण पर आदेश पारित किए जावेंगे।

14. विभागाध्यक्ष -- नगरपालिक के प्रत्येक विभाग के लिए मुख्य कार्यपालिक पदाधिकारी अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को विभागाध्यक्ष के रूप में नामांकित करेगा :

परन्तु मुख्य कार्यपालिक पदाधिकारी अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को एक से अधिक विभागों का विभागाध्यक्ष नामांकित कर सकेगा।

15. मेयर-इन-काउंसिल या प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल की बैठक -- (1) यथास्थिति मेयर-इन-काउंसिल या प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल की बैठक आवश्यकतानुसार कभी भी आयोजित की जा सकेगी :

परंतु बैठक इस प्रकार से आयोजित की जाएगी जिसमें कोई भी प्रकरण दस दिन से अधिक लंबित न रहे।

(2) प्रत्येक बैठक में मुख्य कार्यपालिक पदाधिकारी या उसके द्वारा नामांकित कोई अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेगा जो बैठक में आवश्यकतानुसार अपने विचार व्यक्त कर सकेगा परंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(3) बैठक नगरपालिका भवन में आयोजित की जाएगी और बैठक की तारीख व समय का निर्धारण यथास्थिति महापौर या अध्यक्ष द्वारा किया जावेगा।

(4) सचिव द्वारा प्रत्येक बैठक की सूचना जिसमें बैठक का स्थान, दिनांक तथा समय निर्दिष्ट हो स सदस्यों को बैठक की तारीख से कम से कम तीन दिन पूर्व भेजी जावेगी परंतु आकस्मिक परिस्थितियों में एक दिन पूर्व की सूचना पर भी बैठक बुलाई जा सकेगी।

(5) जैसे ही कोई प्रकरण विचारार्थ प्राप्त होता है, उसे सचिव द्वारा एक रजिस्टर में दर्ज किया जावेगा ऐसे सभी प्रकरणों को बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। यदि कोई प्रकरण बैठक में निराकृत होने से शेष रह जाए आगामी बैठक में सामान्यत: उस पर सबसे पहले विचार किया जाएगा।

16. कार्यवृत्त पुस्तिका -- (1) बैठक की कार्रवाई एक पुस्तिका में हिन्दी में लेखबद्ध की जाए जिसकी पुष्टि उसी बैठक में या आगामी बैठक में की जाएगी। कार्यवृत्त पुस्तिका में निम्नलिखित बातें सम्मि होंगी :-

(क) उपस्थित सदस्यों के नाम तथा हस्ताक्षर

(ख) प्रत्येक प्रकरण में विनिश्चय

(ग) कार्यवृत्त पर बैठक के अध्यक्ष तथा सचिव के हस्ताक्षर।

(2) कार्यवृत्त पुस्तिका किसी भी पार्षद के निरीक्षण के लिए कार्यालयीन समय में निःशुल्क खुली रहे

17. निरसन -- इन नियमों के प्रारंभ होने के अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त :-

(1) छत्तीसगढ़ नगरपालिका (स्थायी समिति के कामकाज के संचालन हेतु प्रक्रिया) नियम, 1997

(2) छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम (स्थायी समिति के कामकाज का संचालन) नियम, 1997।

(3) छत्तीसगढ़ नगरपालिका (विभागीय समितियों के कर्तव्य, शक्तियों तथा उनके कामकाज के संचा हेतु प्रक्रिया) नियम, 1997।

(4) छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम (प्राधिकारियों के वित्तीय अधिकार तथा अनुबंध) नियम, 199

(5) छत्तीसगढ़ नगरपालिका (प्राधिकारियों के वित्तीय अधिकार तथा निविदा आमंत्रित करने की सी नियम, 1994।

तथा इन नियमों के तत्स्थानी अन्य समस्त नियम, उपविधियाँ या आदेश यदि कोई हों, इन नियमों के प्र होने की तारीख से निरस्त हो जाएंगे :

परंतु इस प्रकार निरसित नियम/उपविधियाँ या आदेशों में से किसी के भी अधीन की गई कोई भी बात या गई कोई भी कार्रवाई जब तक कि ऐसी बात या कार्रवाई इन नियमों के उपबंधों से असंगत न हो, इन नियमो तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

[1][**18. शिथिलीकरण** -- इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी भी खण्ड को राज्य सरकार, विशेष प्रकरण रूप में शिथिल कर सकेगी।]

1. अधिसूचना क्रमांक 4175/5170/18/2010 दिनांक 16 जून, 2011 द्वारा जोड़ा गया। छ.ग. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 16 2011 पृष्ठ 397-398(3) पर प्रकाशित।